महत्वपूर्ण

संख्या:9/2023/बी-1-588/दस-2023-231/2023

प्रेषक,

दीपक कुमार,
अपर मुख्य सचिव, वित्त
एवं वित्त आयुक्त,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव / सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।
(संलग्न सूची के अनुसार)

वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 लखनऊ: दिनाँक: 08 सितम्बर, 2023

विषय: चालू वित्तीय वर्ष 2023-2024 में पूंजीगत परिव्यय के सम्बन्ध में।

महोदय,

उल्लेखनीय है कि पूंजीगत परिव्यय से अवस्थापना सुविधाओं का सृजन होता है, जिससे रोजगार के अवसर पैदा होते हैं। चालू वित्तीय वर्ष 2023-2024 के बजट में पूंजीगत परिव्यय (शुद्ध) रुपये 1,47,492.29 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

2- कोषागार से प्राप्त आँकड़ों के अनुसार माह अगस्त, 2023 तक पूंजीगत परिव्यय मद में मात्र रुपये 23,348 करोड़ का ही व्यय हुआ है जो इस हेतु प्रावधानित बजट का मात्र 17 प्रतिशत है। यह स्थिति सन्तोषजनक नहीं कही जा सकती है।

3- केन्द्र सरकार द्वारा पूंजीगत व्यय को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से **Scheme for Special Assistance to State for Capital Investment 2023-24** लागू की गयी है, जिसके अन्तर्गत राज्य सरकार को 50 वर्षीय ब्याज रहित ऋण उपलब्ध कराया जायेगा।

4- उक्त योजना के अन्तर्गत केन्द्र सरकार द्वारा राज्य हेतु आवंटित धनराशि रुपये 17,939 करोड़ के सापेक्ष दो तिहाई धनराशि रुपये 11,659.93 करोड़ प्राप्त हो चुके हैं। अवशेष धनराशि को प्राप्त करने हेतु माह सितम्बर, 2023 तक राज्य का पूंजीगत परिव्यय, केन्द्र सरकार द्वारा राज्य हेतु निर्धारित लक्ष्य रुपये 83,144 करोड़ का 45 प्रतिशत अर्थात् रुपये 37,415 करोड़ होना चाहिए। अतः माह सितम्बर, 2023 में लगभग रुपये 15,000 करोड़ का व्यय पूंजीगत परिव्यय मद में किया जाना आवश्यक है।

5- इस सम्बन्ध में दिनाँक 06 सितम्बर, 2023 को माननीय वित्त मंत्री जी द्वारा प्रमुख विभागों के साथ की गयी व्यय की समीक्षा बैठक में स्पष्ट एवं कड़े निर्देश दिये गये हैं कि जिन विभागों में पूंजीगत परिव्यय हेतु चालू वित्तीय वर्ष में बजट प्रावधानित किया गया है, उन विभागों द्वारा माह सितम्बर, 2023 के अन्त तक बजट में प्रावधानित पूंजीगत परिव्यय का 50 प्रतिशत अवश्य व्यय किया जाय।

अतः उक्त के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अपने विभाग के लिये प्रावधानित पूंजीगत परिव्यय की धनराशि का 50 प्रतिशत व्यय माह सितम्बर, 2023 के अन्त तक सुनिश्चित करने हेतु आवश्यक कार्यवाही कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोपरि।

भवदीय,
दीपक कुमार
अपर मुख्य सचिव, वित्त एवं वित्त आयुक्त।

..... 2

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in

संख्या: 9/2023/बी-1-588(1)/दस-2023-231/2023, तद्दिनाँक

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निजी सचिव, माननीय वित्त मंत्री जी ।
2. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन ।
3. निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, वित्त एवं वित्त आयुक्त ।
4. समस्त विशेष सचिव, वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन ।
5. समस्त वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग ।

आज्ञा से,

आलोक दीक्षित
विशेष सचिव ।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या : 9/2023/बी–1–588/दस–2023–231/2023, दिनाँक 08 सितम्बर, 2023 का संलग्नक	
क्र.सं.	विभाग
1	ग्राम्य विकास विभाग
2	नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग
3	लोक निर्माण विभाग (संचार साधन-सड़कें)
4	ऊर्जा विभाग
5	सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य)
6	आवास विभाग
7	लोक निर्माण विभाग (संचार साधन-सेतु)
8	चिकित्सा विभाग (चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण)
9	गृह विभाग (पुलिस)
10	भारी एवं मध्यम उद्योग
11	शिक्षा विभाग (प्राथमिक शिक्षा)
12	चिकित्सा विभाग (परिवार कल्याण)
13	न्याय विभाग
14	नियोजन विभाग
15	नगर विकास विभाग
16	नागरिक उड्डयन विभाग
17	माध्यमिक शिक्षा विभाग
18	पर्यटन विभाग
19	चिकित्सा विभाग (एलोपैथी चिकित्सा)
20	वन विभाग
21	उद्योग विभाग (लघु उद्योग एवं निर्यात प्रोत्साहन)
22	समाज कल्याण विभाग (समाज कल्याण एवं अनुसूचित जातियों का कल्याण)
23	अल्पसंख्यक कल्याण विभाग
24	सामान्य प्रशासन विभाग
25	गृह विभाग (कारागार)

संख्या : 9/2023/बी–1–588/दस–2023–231/2023, दिनाँक 08 सितम्बर, 2023 का संलग्नक	
क्र.सं.	विभाग
26	खेल विभाग
27	पंचायती राज विभाग
28	व्यावसायिक शिक्षा विभाग
29	उच्च शिक्षा विभाग
30	परिवहन विभाग
31	कृषि विभाग
32	संस्कृति विभाग
33	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पशुधन)
34	प्राविधिक शिक्षा विभाग
35	लोक निर्माण विभाग (राज्य सम्पत्ति निदेशालय)
36	खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग
37	बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग
38	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (सहकारिता)
39	कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग
40	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (मत्स्य)
41	लोक निर्माण विभाग (भवन)
42	दिव्यांगजन कल्याण विभाग
43	राजस्व विभाग (जिला प्रशासन)
44	श्रम विभाग (श्रम कल्याण)
45	समाज कल्याण विभाग (जनजाति कल्याण)
46	उद्यान एवं खाद्य प्रंसस्करण
47	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी
48	चिकित्सा विभाग (आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सा)
49	महिला कल्याण विभाग
50	संस्थागत वित्त विभाग (स्टाम्प एवं पंजीकरण)

संख्या : 9/2023/बी–1–588/दस–2023–231/2023, दिनाँक 08 सितम्बर, 2023 का संलग्नक	
क्र.सं.	विभाग
51	राजस्व विभाग (राजस्व परिषद तथा अन्य व्यय)
52	शिक्षा विभाग (राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद)
53	खाद्य तथा रसद विभाग
54	विधान सभा सचिवालय
55	गन्ना विकास विभाग (चीनी उद्योग)
56	अपारंपरिक ऊर्जा (नेडा)
57	संस्थागत वित्त विभाग (व्यापारकर)
58	आबकारी विभाग
59	चिकित्सा विभाग (होम्योपैथी चिकित्सा)
60	राजस्व विभाग (दैवी विपत्तियों के संबंध में राहत)
61	गृह विभाग (होमगार्डस)
62	नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग
63	प्रादेशिक विकास दल एवं युवा कल्याण विभाग
64	आई.टी. एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग
65	पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग
66	कार्मिक विभाग (प्रशिक्षण तथा अन्य व्यय)
67	सूचना विभाग
68	सैनिक कल्याण विभाग
69	उद्योग विभाग (हथकरघा उद्योग)
70	वित्त विभाग (लेखा परीक्षा, अल्प बचत आदि)
71	उद्योग विभाग (मुद्रण तथा लेखन-सामग्री)
72	निर्वाचन विभाग